तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज
13/03/26	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप.। प्रतिवादीगण वकील अनु.। वादी वकील ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC का जवाब एवं न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिन्हे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते दस्तावेजात पेश करने हेतु एवं प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 10/04/26 को पेश होवे।
16/03/26	पत्रावली पेश हुई प्रतिवादीगण वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर आवश्यक सुनवाई बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावे। प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वादी की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता बाबूलाल विश्नोई उप. हुए। उभयपक्षकारान को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC पर बहस एवं दस्तावेजात पेश करने हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 17/03/26 को पेश होवे।
17/03/26	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारान उप.। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते दस्तावेज वगैरा पेश करने व सुनवाई हेतु मुनासिब अवसर देने बाबत पेश कर निवेदन किया उक्त अनवान के न्यायालय मे दिनांक 06/02/26 को प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही करके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC का पेश किया गया जिसका [illegible] जवाब पेश किया गया। उक्त [illegible] प्रार्थना पत्र पर वास्ते बहस एवं दस्तावेजात पेश करने हेतु आइन्दा दिनांक 10.04.26 नियत की गई थी प्रतिवादीगण द्वारा अपनी मनमर्जी से दिनांक 16.03.26 को एक प्रार्थना पत्र तत्काल सुनवाई हेतु पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:37 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जो विधि विरूद्ध है इसलिये मुझे उक्त अनवान मे दिनांक 10.04.26 नियत की जावे ताकि दस्तावेजात पेश कर सकु।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादीगण वकील जवाब न देकर सीधी बहस करना चाहते है। प्रतिवादीगण वकील ने कहा कि वादी वकील उक्त प्रार्थना पत्र में बहस न करके समय व्यतीत करना चाहता है क्योंकि वादी वकील को दस्तावेज पेश करने होते तो वह कबका पेश कर देता है क्योंकि यह वाद 2015 से विचाराधीन है आज 11 साल व्यतीत होने के बाद भी कोई दस्तावेज पेश नही किये। पूर्व मे बिना कोई दस्तावेजात पेश किये वाद मे प्रारंभिक डिक्री जारी करवा दी जो विधि विरुद्ध थी। वादी वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 CPC मे बहस न करके समय व्यतीत करना चाहता है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन, गलत एवं मनगढ़त तथ्यो पर आधारित होने के कारण एतद्द्वारा खारिज फरमाया जावें।

वकील उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत, सारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने के कारण एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 CPC पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। अत: प्रार्थना पत्र का निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] वकील का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC [illegible] वाद को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। [illegible] तैयार होकर दाखिल दफ्तर होवे सेम्ला से उम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:37 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC बाबत वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 Rt. Act का वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जो जवाब के स्तर पर विचाराधीन है। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद मनगढंत एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खानदानी सजरा निम्नानुसार है-

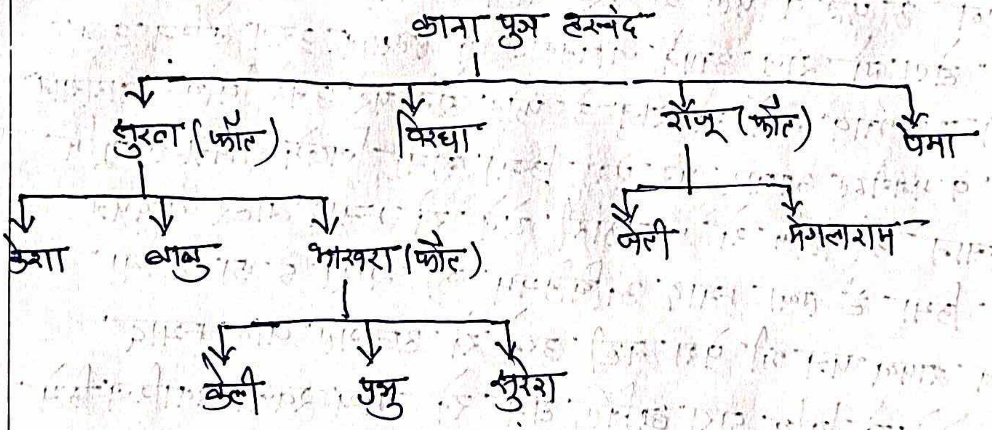

वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्व पुरुष जाना पुत्र हरचन्द के विधिक वारिसान हैं तथा वक्त सेटलमेंट वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरुष जाना के नाम ग्राम ओला में खसरा नं. 50, 274, 273 कुल रकबा 305.15 बीघा भूमि तथा ग्राम अम्बरे की बेरी में खेत खसरा नम्बर 262 रकबा 97.07 बीघा व ग्राम [illegible] स्थान में खेत खसरा नम्बर 151, 253, [illegible] कुल रकबा [illegible] बीघा उक्त तीनों ग्रामों का कुल रकबा 594.07 बीघा का पट्टा लगान जारी होकर खातेदारी दर्ज की गई थी। तत्पश्चात वादीगण के पति व पिता राजुराम को रुपयों की आवश्यकता होने से राजुराम के पिता जाना जो वृद्धावस्था में राजुराम के साथ निवास करते थे तब राजुराम की आवश्यकता पर जाना द्वारा राजु के कहने से पुश्तैनी व पैतृक

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज
	भूमि कुल रकबा ५७४.०७ बीघा मे से चार पुत्र व स्वयं कुल पुश्तैनी भूमि मे से 1/5-1/5 पिता व पुत्रों का होने से ~~चार पुत्र व स्वयं~~ गना पुत्र हरचंद का सम्पूर्ण भूमि मे 1/5 हिस्सा अर्थात कुल खातेदारी भूमि ५७४.०७ बीघा मे से ५७.१२ बीघा नोशनल शेयर अनुसार होने से विधि अनुसार अपने हिस्से की भूमि ग्राम [illegible] [illegible] के स्पष्ट खसरा नम्बर 151, 259, 280 कुल रकबा ९६.०५ बीघा का बेचान राजु के घर जरूरत व रुपये की आवश्यकता होने से राजु के कहे अनुसार राजु के साथ चल कर बेचान कर बेचान दस्तावेजात पर अपने अंगुष्ठ निशान बतौर साक्षी लगवाये तथा बेचान प्रतिफल राशि भी राजु द्वारा प्राप्त की गयी थी जिससे साबित है कि वादग्रस्त भूमि का बेचान होने की जानकारी बक्त बेचान वादीगण के पति व पिता को उसी रोज से थी। यदि उक्त बेचान गलत होता तो राजु अपने जीवनकाल मे एतराज करता लेकिन अब जमीनों का भाव बढ़ने से राजु के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान गलत व मनगढ़त आधार पर पेश किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि का बेचान की तिथि से जानकारी होने से म्याद बाहर वादपत्र प्रस्तुत किया है तथा म्याद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश नही करने से हस्तगत वाद म्याद बाहर होने से विधि द्वारा वर्जित होने से मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण की पुश्तैनी भूमि ग्राम [illegible] एवं कुम्हारो की बेरी की सम्पूर्ण भूमि में 1/5 हिस्सा की खातेदारी गना के फौत होने पर विरासत में राजु के हिस्से मे दर्ज हुई। राजु के फौत होने पर विरासत में वादीगण की खातेदारी दर्ज हुई, जिसका विधिवत वि[illegible] करीब 10-11 वर्ष पूर्व करवा लिया था, [illegible] वादीगण को अपने खेत के विभाजन [illegible] उक्त वादग्रस्त भूमि के बेचान व कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का होने की जानकारी थी, जिसमें भी साबित है कि वादीगण ने अपना दावा म्याद बाधित पेश किया था जो विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:37 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इंस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादग्रस्त भूमि का बेचान पूर्व पुरुष कानां द्वारा अपने पैतृक व पुश्तैनी भूमि मे से नोशनल शेयर अनुसार 1/5 हिस्सा अर्थात् 99.12 बीघा होने के बावजूद 96.05 बीघा बेचान करने से वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कभी भी विनायदावा उत्पन्न नही हुआ है इसलिये विनायदावा पैदा नही होने से वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नही होने से विधि व काल बाधित होने से वादीगण का वादपत्र मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है

वादग्रस्त भूमि पर वक्त बेचान से आज दिन तक निर्बाध रूप से लगातार प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है जिस पर वादीगण का कभी कब्जा काश्त नही होने से वादपत्र को मनगढंत तथ्यो के आधार प्रस्तुत किया गया जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित एवं काल बाधित व वादपत्र प्रस्तुत करने का विनायदावा उत्पन्न नही होने से इसी स्तर पर मयखर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण वकील ने मौजा बांमाला दर्शान, खोला व कुम्हारो की बेरी मे कानां पुत्र हरचंद की खातेदारी भूमि की मिसल, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति., मौजा बांमाला मे कानां द्वारा निष्पादित तीन बेचाननामा की प्रति के दस्तावेजात की सूची प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।

प्रतिवादीगण वकील की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये

(1) Salem Advocates Bar Association, Tamilnadu V/s Union of India AIR 2005 S.C ... date 02-08-2005

(2) Popat And Kotecha Property V/s State bank of India AIR online 2005 S.C 1032 date – 29/08/2005

(3) Emanuel & Anr. V/s Mohd. salim ors 2025(1) OLJ (RAJ.) 329

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज
(4)	Azhar Hussain V/s Rajiv Gandhi 1986 AIR S.C 1253
(5)	Nattu Bai V/s Dungermal 2025 (1) DNJ 328
(6)	सिविल न्यायाधीश जिला बाड़मेर दीवानी मूल वाद सं. 195/2025 सीआईएस नम्बर 142/2025 लूणाराम वगैरा बनाम देवाराम निर्णय दिनांक 09/02/2026
	के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।
	प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC का जवाब वादीगण वकील द्वारा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार हकदार वाद सही आधारो पर प्रस्तुत किया गया है इस पद मे जो वंशवृक्ष बताया गया है वह सही है वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 40, 274, 273 मौजा कोजा व खेत खसरा नम्बर 262, मौजा कुम्हारो की बेरी व खेत खसरा सं. 151, 259, 280 मौजा धोमाला दयानि का पर्चा लगान काना पुत्र हरचंद के नाम से सही जारी किया गया था। लेकिन प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि वादीगण के पति/पिता राजुराम को रुपयो की आवश्यकता होने से राजुराम के पिता काना जो वृद्धावस्था मे राजुराम के साथ निवास करते [illegible] आवश्यकता पर काना द्वारा राजु के [illegible] भूमि मे अपने हिस्से की 49.12 बीघा [illegible] प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व [illegible] के पिता के नाम से करवाया था। वास्तव में राजुराम का स्वर्गवास 32 वर्ष पूर्व हो गया था तथा वादीगण ग्रामीण एवं अशिक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:37 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
महिलाए थी जो स्वर्गीय गना के साथ ही रहवास करती थी। लेकिन गना जो भोला भाले स्वभाव का था तथा उक्त खेत गना की खातेदारी मे दर्ज होने की वजह से प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पूर्वजो द्वारा राजुराम के हिस्से की भूमि को हड़प करने के आशय से ही गना को बहला फुसलाकर उप पंजीयक कार्यालय में लेकर गये तथा उक्त दस्तावेज का पंजीयन करवाया गया। उक्त बेचान से पूर्व ही राजुराम का स्वर्गवास हो चुका था ऐसी स्थिति में राजुराम द्वारा उक्त बेचान मे बतौर साक्षी के हस्ताक्षर करने एवं प्रतिफल की राशि प्राप्त करने का कथन गलत किया गया है प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि उक्त बेचान की तिथि की जानकारी होने से वादीगण का वाद पत्र म्याद बाहर हो गया। घोषणा के वाद पत्र में किसी प्रकार की म्याद निर्धारित नही होती है तथा न ही इस बाबत किसी प्रकार का 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त खेतो मे अपने 1/4 हिस्से की भूमि की घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है मौजा कोज्या एवं कुम्हारो की बेरी की सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की खातेदारी गना के फौत होने पर विरासत मे राजु का नाम से फौती का नामान्तकरण [illegible] इसलिए ही उक्त खेतो मे अपनी भूमि का [illegible] वाद किया गया था लेकिन मौजा [illegible] रिकॉर्ड मे तत्समय वादीगण का नाम नही होने की जानकारी वादीगण को नही हो सकी थी तथा वादीगण को सर्वप्रथम वर्ष 2015 मे ज्ञान हुआ कि ग्राम कौमाला के खेत खसरा नम्बर 151, 258, 280 कुल रकबा 93.05 बीघा भूमि जो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज
	वक्त सेटलमेंट हरचंद के नाम थी हरचन्द फौत होने पर हरचन्द के पुत्र भाना के नाम सेटलमेंट में इन्द्राज हुआ। भाना के चार पुत्र थे जो सुरताराम, राजुराम, बिरधाराम, पेमाराम थे। भाना ने उपरोक्त खेतों का सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पूर्वज को बेचान कर वादीगण के पूर्वज वासु को उक्त खेतों की भूमि से वंचित कर दिया गया। तब वादीगण ने उक्त खेतों में अपना 1/4 हिस्सा घोषित करने का यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा वादग्रस्त खेतों में वादीगण का वादग्रस्त खेतों का 1/4 हिस्से का खातेदार मानते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई जिसके अनुसार नामान्तकरण भी स्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन बाद में प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 CPC का प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार प्रारम्भिक डिक्री जो पूर्व में जारी की गई थी उसको निरस्त कर पुनः वाद पत्र की सुनवाई की जा रही है जिस वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा अंतिम बहस से बचने के लिए झूठे आधारों पर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। भाना द्वारा अपने पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया गया है तथा उसमें जानबूझकर वादीगण के पूर्वज वासु को उसके हिस्से से वंचित करने की [illegible] [illegible] जानकारी होने पर वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी खातेदारी की है जिस पर समस्त खातेदारों का समान हक व हिस्सा है तथा इसी अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:37 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का आवेदन पत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावें। वादीगण वकील ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है (1) (2017) 1 AIRDelR 798 : (2017) 2 PLR 26 DELHI HIGH Court M/s. SHAKTi bhog Food Industries LTD. V/s The central Bank of India date - 2.01.2017 (2) (2021) supreme Court civil Reports 937 supreme court of India SALim D. AgBoatwala and others V/s shamalji oddhavji thakkar and others dated - 17.08.2021 जिन्हें शामिल पत्रावली किया जाता है। वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजाती साक्ष्यों, वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि सुविधा का संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष मे है। अतः प्रतिवादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC को स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के वाद को [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:37 IST
Reason: SelfAttested